राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//the.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (O)

क्रमांक: F20(101/92)PLAN/CCE/2021-22/-06609 / 474 दिनांक: 08/07/2023

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः राजसेस (Raj-CES) के अधीन संचालित राजकीय महविद्यालयों में प्राचार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति द्वारा पदस्थापन बाबत

महोदय / महोदया

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में राजसेस के अधीन संचालित राजकीय महविद्यालयों में प्राचार्य के पद पर राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 संशोधन दिनांक 14.10.2022 (कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.1(6)DOP/A-II/84Pt. दिनांक 14.10.2022 के अन्तर्गत) में उल्लेखित प्राचार्य पद की अर्हताओं को पूर्ण करने वाले पात्र आचार्यों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। इस हेतु महाविद्यालय / नोडल महाविद्यालय स्तर पर प्रक्रिया को समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :

(A) **आवेदन की प्रक्रियाः**

1. पात्र आचार्य HTE वेबसाइट पर डाउनलोड में उपलब्ध प्राचार्य हेतु आवेदन पत्र भरकर संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को दिनांक 10.07.2023 तक 3 प्रतियों में स्पाइरल बाउंड करा कर प्रस्तुत करें। सम्पूर्ण आवेदन की Scanned pdf कॉपी (मय संलग्नक) महाविद्यालय की ईमेल पर भी प्रेषित किया जाना है।
2. आवेदन पत्र के सभी पृष्ठ एवं सभी संलग्नक आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित किये जाएंगे।
3. आचार्यों द्वारा आवेदन में प्रतिनियुक्ति हेतु वरीयता के आधार पर अधिकतम तीन जिलों का विकल्प दे सकते हैं।

(B) **प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः**

1. संबंधित प्राचार्य अपने महाविद्यालय में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की प्राथमिक जांच कर नोडल महाविद्यालय (संलग्न सूची अनुसार) को दिनांक 11.07.2023 तक अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. सम्पूर्ण आवेदन की Scanned pdf कॉपी (मय संलग्नक) आयुक्तालय की ईमेल "principalrajces@gmail.com" पर भी प्रेषित किये जाएंगे।

(C) **नोडल महाविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः**

1. नोडल महाविद्यालय की आतंरिक गुणवत्ता मूल्यांकन समिति (IQAC) राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 संशोधन दिनांक 14.10.2022 (कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.1(6)DOP/A-II/84Pt. दिनांक 14.10.2022 के अन्तर्गत) के

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//the.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (O)

अनुसार प्राप्त आवेदनों के रिसर्च स्कोर/ग्रेडिंग की गणना कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में भरकर प्राप्त आवेदन पत्रो को दिनांक 13.07.2023 तक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आयुक्तालय की ईमेल "principalrajces@gmail.com" पर भी प्रेषित किये जाएंगे।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर IQAC द्वारा स्कोर के अंकन के पश्चात् आयुक्तालय को प्रेषित की गई आवेदन पत्र की कार्यालय प्रति (एक प्रति) संबंधित आवेदक की निजी पत्रावली में नत्थी करने हेतु संबंधित महाविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. अपूर्ण आवेदन पत्र आयुक्तालय को प्रेषित नहीं किए जावें । अपूर्ण आवेदन पत्र पर आयुक्तालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। इस हेतु प्राचार्य स्वंय जिम्मेदार होंगे।

उक्त प्रक्रिया हेतु निम्न समय सारणी का पालन किया जाना सुनिश्चित करें:

महाविद्यालय में आवेदन की अन्तिम तिथि	10.07.2023
नोडल महाविद्यालय में आवेदन पत्र पहुंचाने की अन्तिम तिथि	11.07.2023
नोडल महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर आयुक्तालय पहुंचाने की अन्तिम तिथि	13.07.2023

प्राचार्य के पद पर कार्य करने हेतु नियमानुसार विशेष भत्ता देय होगा।

(सुनील शर्मा)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर
3. राजकीय महाविद्यालयों के पात्र समस्त आचार्यों को उक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने हेतु
4. वेबसाईट प्रभारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा